

क्या आप जानते हैं?

निवेशक/जमाकर्ता आईईपीएफ को ट्रांसफर किए जा चुके अपने शेयर, डिविडेंडस, डिबेंचर, मेच्योर डिपाजिट आदि अब आसान चरणों में प्राप्त कर सकते हैं।

1



दावाकर्ता वेबसाइट
www.iepf.gov.in
पर ऑनलाइन उपलब्ध
ई-प्ररूप आई ई पी एफ-5
फार्म फाइल करें

2



फाइल किया हुआ
ई-प्ररूप फॉर्म का प्रिंट लें और
आवश्यक दस्तावेजों सहित
संबंधित कंपनी में
जमा कराएं

3



कंपनी के नोडल अधिकारी
द्वारा दावे की जांच करके,
15 दिन के भीतर आई ई पी एफ
अथॉरिटी को रिपोर्ट
भेजी जाएगी

4



जांच की रिपोर्ट के आधार पर
आई ई पी एफ अथॉरिटी द्वारा
निवेशक (दावाकर्ता) के खाते के पक्ष
में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दावा
भेज दिया जाएगा



निःशुल्क

आई ई पी एफ-5 फॉर्म फाइल करने के लिए
कोई शुल्क नहीं लिया जाता



सरल

वेबसाइट पर प्रत्येक फॉर्म के
साथ मदद किट उपलब्ध है।



पुनः जमा करें

अगर कोई चूक हो गयी हो तो उसे सही करने क लिए
पुनः जमा करने का एक विकल्प भी दिया गया है।

नया

नोट: आपको नियमित रूप से अपने डिविडेंडस का दावा करना चाहिए। यदि लगातार सात वर्षों तक दावा न किया जाये तो उसके संबंधित शेयरों सहित डिविडेंडस आई ई पी एफ अथॉरिटी में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं।



निवेशक शिक्षा एवं विनिधानकर्ता प्राधिकरण

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

टॉल फ्री नं.: 1800-114-667 • ई-मेल: iepf@mca.gov.in • वेबसाइट: www.iepf.gov.in